

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 391]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 जुलाई 2010—श्रावण 5, शक 1932

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2010

क्र. 15672-वि.स.-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 18 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 27 जुलाई, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् २०१०

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, २०१०.

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ११ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ११ में, उपधारा (१) में, खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(छ) मण्डी क्षेत्र में काम कर रहे ऐसे तुलैयों तथा हम्मालों का एक प्रतिनिधि जिसे कि इस अधिनियम के अधीन किसी मण्डी समिति से ऐसे तुलैये तथा हम्माल के रूप में लगातार दो वर्षों से अनुज्ञप्ति धारण कर रहे ऐसे तुलैयों तथा हम्मालों द्वारा तथा उन्हीं के बीच से ऐसी रीति में चुना गया हो जो कि विहित की जाए:

परन्तु धारा १० के अधीन प्रथम बार स्थापित किसी मण्डी समिति की दशा में, ऐसी मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति धारण करने की अर्हकारी कालावधि छह मास होगी;”.

धारा ४१ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४१ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ज) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“(ट) ऐसे तुलैयों तथा हम्मालों का एक प्रतिनिधि, जो राज्य के भीतर की किसी मण्डी समिति से तुलैए तथा हम्माल के रूप में लगातार दो वर्षों की कालावधि से अनुज्ञप्ति धारण किये हुए हो:

परन्तु धारा १० के अधीन प्रथम बार स्थापित किसी मण्डी समिति की दशा में, ऐसी मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति धारण करने की अर्हकारी कालावधि छह मास होगी.”.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य की मण्डी समितियों में कृषि उपज के निर्बाध विपणन में तुलैयों और हम्मालों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः यह आवश्यक है कि उन्हें मण्डी समिति के गठन में तथा राज्य स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मण्डी बोर्ड) के गठन में भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। यद्यपि, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) की धारा ११ की उपधारा (१) के खण्ड (छ), में, मण्डी समिति के गठन में, अध्यक्ष, मण्डी समिति द्वारा अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों और हम्मालों का, उनमें से एक प्रतिनिधि नामनिर्देशित किया जाकर, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान है, किन्तु वर्तमान में राज्य स्तर पर मण्डी बोर्ड के गठन में तुलैयों और हम्मालों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

२. अतः मण्डी समिति के गठन में तुलैयों और हम्मालों को समुचित प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से, अध्यक्ष द्वारा उनका प्रतिनिधि नामनिर्देशित किये जाने के बजाए, विहित रीति में तुलैयों और हम्मालों के प्रतिनिधि को चुने जाने का विनिश्चय किया गया है। इस प्रयोजन के लिये मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (१) के खण्ड (छ) का प्रतिस्थापन किया जाना प्रस्तावित है। राज्य स्तर पर मण्डी बोर्ड के गठन में तुलैयों और हम्मालों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये मूल अधिनियम की धारा ४१ में एक नया प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख : १९ जुलाई, २०१०.

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया

भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, २०१० के जिन खण्डों द्वारा विधायिनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है :-

खण्ड २ (छ) : तुलैयों तथा हम्मालों का एक प्रतिनिधि तुलैयों तथा हम्मालों द्वारा तथा उन्हीं के बीच से विहित रीति में चुने जाने के संबंध में;

खण्ड ३ (ट) : राज्य स्तर पर मण्डी बोर्ड के गठन में तुलैयों और हम्मालों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट किये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार नियम बना सकेगी जो सामान्य स्वरूप के होंगे।

डॉ. ए. के. पयासी

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.